भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड (Railway Board)

RBA No. 20/2025

No. 2020/AC-II/2/5 /e-3331568 **New Delhi, dated 02.07.2025**

General Managers/ PFAs,
All Indian Railways & PUs etc

Sub:- ACS No. 15 to Indian Railway Finance Code vol.II, 2022 edition.

*****

Attention is invited to Board's letter of even No. dated 28.11.2022 (RBA No. 53/2022) wherein works/ activities to be included under Plan Head 16 and Traffic facilities and 5300- customer Amenities has been elaborated. The matter has been revisited with a view to process/sanction works related to new goods sheds in totality including track works as well as customer amenity works to ONE Plan Head (either under PH-16 or PH-53).

Accordingly, the revised Scope of works under these Plan heads is re-described in the enclosed Advance Correction slip **No. 15** Indian Railway Finance Code Vol.II is enclosed.

However, the remaining contents of letter No. 2020/AC-II/2/5 DATED 28.11.2022 (RBA No. 53/2022) shall continue.

Contents of the correction slip may please be circulated suitably.

DA:As above

Digitally signed by
Rajat Agarwal
Date: 02-07-2025
14:31:28

(Rajat Agarwal)
Jt. Director Finance (CCA)
Railway Board
Ph.No. 011-23047018
E mail ID: Rajat.agarwal91@gov.in

Copy to:
1. Dy. C&AG (Railways) Room No. 224, Rail Bhawan, New Delhi
2. AM/L&A, AM/M&BD, PED/GS, ED/GS/Traffic, ED/SD&T, ED/GS/Fin, EDPM, EDFM, EDF(B)
3. AC-I (comp), AC-III, AC-IV, Code Revision, Accounts Inspection, Accounts Appropriation, Finance (Budget), Pay& Accounts/Rly BD.
4. RBCC for uploading in Accounts Compendium-2022.
5. OSD/MR/OSD/Coord to MR, Additional PS/MR

Advance Correction Slip No. 15

Indian Railway Finance Code vol.II, 2022 edition

Classification of Capital and Other Works Expenditure (Appendix-II)

Please modify Plan Heads 1600 and 5300 as follows:

Plan Head	Existing	Revised(proposed)
1600	All traffic facilities other than those covered under Plan Head 5300	All traffic facilities other than those covered under Plan Head 5300. If a **New Goods Shed** including track work is developed, whole work shall be charged to PH-16.
5300	Customer Amenities –passenger/other Railway user amenities and Development& up gradation of freight terminals including circulating area for movement of road vehicles, approach roads, illumination for night working, parking space for trucks, platforms, covering of platforms, infrastructure for handling of crane consignments/loose commodities, drainage in go down area, storage facilities/warehousing, office and waiting halls, facilities for labour but excluding track related works (viz., works like providing of full rake length capacity spurs, direct entry/dispatch of rakes)	Customer Amenities –passenger/other Railway user amenities and up gradation of freight terminals including circulating area for movement of road vehicles, approach roads, illumination for night working, parking space for trucks, platforms, covering of platforms, infrastructure for handling of crane consignments/loose commodities, drainage in go down area, storage facilities/ warehousing, office and waiting halls, facilities for labour . Work (s) related to up gradation/creation of facilities at **existing Goods shed** including track works, shall be charged under PH-53 i.e customer amenities.

(Authority:- 2020/AC-II/2/5/3331568 dated 01.07.2025)

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD

आरबीए सं. 20/2025

सं. 2020/एसी-II/2/5/ ई-3331568

नई दिल्ली, दिनांक 02.07.2025

महाप्रबंधक/प्रधान वित्त सलाहकार,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां आदि

विषय: भारतीय रेल वित्त संहिता जिल्द-II, 2022 संस्करण के लिए अग्रिम शुद्धि पर्ची संख्या 15.

*****

आपका ध्यान बोर्ड के दिनांक 28.11.2022 के समसंख्यक पत्र (आरबीए सं. 53/2022) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें योजना शीर्ष 16 तथा यातायात सुविधाओं और 5300 - "ग्राहक सुविधाएं" के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले निर्माण कार्य/गतिविधियों का विस्तार उल्लेख किया गया है। रेलपथ निर्माण कार्यों के साथ-साथ ग्राहक सुविधाओं संबंधी निर्माण कार्यों सहित समग्र रूप में नए माल गोदामों से संबंधित निर्माण कार्यों को एक योजना शीर्ष (योजना शीर्ष-16 या योजना शीर्ष-53 के अंतर्गत) के अनुसार कार्रवाई करने/स्वीकृत करने के उद्देश्य से इस मामले पर पुनःविचार किया गया है।

तदनुसार, इन योजना शीर्षों के अंतर्गत निर्माण कार्यों के संशोधित कार्यक्षेत्र को भारतीय रेल वित्त संहिता जिल्द-II की अग्रिम शुद्धि पर्ची संख्या 15 में पुनः परिभाषित करते हुए संलग्न किया जाता है।

बहरहाल, दिनांक 28.11.2022 के पत्र सं.2020/एसी-II/2/5 (आरबीए सं. 53/2022) में निहित शेष विषय-वस्तु लागू रहेगी।

शुद्धि पर्ची की विषय-वस्तु को उपयुक्त रूप से परिपत्रित किया जाए।

संलग्नक:यथोक्त

(रजत अग्रवाल)
संयुक्त निदेशक वित्त (सीसीए)
रेलवे बोर्ड
फोन नं.-011-23047018
ई-मेल आईडी - Rajat.agarwal91@gov.in

प्रतिलिपि प्रेषितः-

1. भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें) कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली।
2. अपर सदस्य/भूमि एवं सुविधा, अपर सदस्य/एमएंडबीडी, प्रधान कार्यपालक निदेशक/जीएस, कार्यपालक निदेशक/जीएस/यातायात, कार्यपालक निदेशक/एसडीएंडटी, कार्यपालक निदेशक/जीएस/वित्त, कार्यपालक निदेशक यात्री विपणन, कार्यपालक निदेशक मालभाड़ा विपणन, कार्यपालक निदेशक वित्त (बजट)।
3. लेखा।(संकलन), लेखा।।।, लेखा IV, संहिता संशोधन, लेखा निरीक्षण, लेखा विनियोग, वित्त (बजट), वेतन एवं लेखा/रेलवे बोर्ड।
4. आरबीसीसी को लेखा सार-संग्रह-2022 में अपलोड करने के लिए।
5. विशेष कार्याधिकारी/रेल मंत्री और विशेष कार्याधिकारी/समन्वय/रेल मंत्री, अपर निजी सचिव/रेल मंत्री।

अग्रिम शुद्धि पर्ची संख्या-15
भारतीय रेल वित्त संहिता जिल्द-II (2022 संस्करण)
पूंजी और अन्य निर्माण कार्यों के व्यय का वर्गीकरण (परिशिष्ट-II)

कृपया योजना शीर्ष 1600 एवं 5300 को निम्नानुसार आशोधित करें -

योजना शीर्ष	मौजूदा	संशोधित (प्रस्तावित)
1600	योजना शीर्ष 5300 के अंतर्गत शामिल सुविधाओं को छोड़कर सभी यातायात सुविधाएं	योजना शीर्ष 5300 के अंतर्गत शामिल सुविधाओं को छोड़कर सभी यातायात सुविधाएं। यदि रेलपथ निर्माण कार्य सहित एक नए माल गोदाम का विकास किया जाता है, तो संपूर्ण कार्य योजना शीर्ष-16 को प्रभारित होगा।
5300	ग्राहक सुविधाएं- सड़क वाहनों के संचलन के लिए परिसंचारी क्षेत्र, पहुँच मार्ग, रात्रि में कार्य करने हेतु प्रकाश व्यवस्था, ट्रकों के लिए पार्किंग स्थल, प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्मों को कवर करना, क्रेन परेषणों/खुले पण्यों की सम्हलाई हेतु अवसंरचना, गोदाम क्षेत्रों में जलनिकासी की व्यवस्था, भंडारण सुविधाएं/वेयरहाउसिंग, कार्यालय एवं प्रतीक्षालय, श्रमिक परंतु रेलपथ संबंधित निर्माण कार्यों को छोड़कर (जैसे पूर्ण रेक लंबाई क्षमता वालें स्परों को उपलब्ध कराने, रेकों के सीधे प्रवेश/निकास जैसे कार्य) सहित यात्री/रेलवे की अन्य उपयोगकर्ता सुविधाएं तथा मालभाड़ा टर्मिनलों का विकास एवं उन्नयन।	ग्राहक सुविधाएं- सड़क वाहनों के संचलन के लिए परिसंचारी क्षेत्र, पहुँच मार्ग, रात्रि में कार्य करने हेतु प्रकाश व्यवस्था, ट्रकों के लिए पार्किंग स्थल, प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्मों को कवर करना, क्रेन परेषणों/खुले पण्यों की सम्हलाई हेतु अवसंरचना, गोदाम क्षेत्रों में जलनिकासी की व्यवस्था, भंडारण सुविधाएं/वेयरहाउसिंग, कार्यालय एवं प्रतीक्षालय, रेलपथ निर्माण कार्यों सहित मौजूदा माल गोदाम पर सुविधाओं के उन्नयन/सृजन से संबंधित निर्माण कार्य(यों) के श्रमिकों के लिए सुविधाओं सहित यात्री/रेलवे की अन्य उपयोगकर्ता सुविधाएं तथा मालभाड़ा टर्मिनलों का उन्नयन योजना शीर्ष 53 अर्थात् उपभोक्ता सुविधाएं के अंतर्गत प्रभारित होगा।

(प्राधिकार - दिनांक 01.07.2025 का पत्र संख्या 2020/एसी-II/2/5/3331568)